कार्यालय निदेशक,माध्यमिकशिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र/सेल–D/विद्यार्थीदुर्घटना बीमा/2021–22 दिनांक:02.11.2021

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक– मुख्यालय

विषय :– राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में चालान राशि का शाला दर्पण पोर्टल पर विधालय स्तर से इन्द्राज करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के दुर्घटना जोखिम को वहन करने के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से 10/– रूपये प्रति छात्र एवं 5/– रूपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष एक लाख रूपये बीमाधन के आधार पर जमा कुल प्रिमियम राशि का ई ग्रास पर चालान जारी करने के उपरान्त चालान राशि का शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित टैब (**विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा चालान राशि एन्ट्री मॉड्यूल)** पर विधालय स्तर पर इन्द्राज करने के संबंध में यूजर मैन्यूल जारी करके निर्देशित किया जाता है कि **आप अपने अधीनस्थ** समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देशित कर शाला दर्पण पोर्टल पर चालान राशि का इन्द्राज दिनांक 20.11. 2021 तक करवाया जाना सुनिश्चित करें। ताकि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों की जमा अंशदान राशि से संबंधित सूचना संकलित की जा सके। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(राकेश कुमार ढल्ला)
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र/सेल–D/विद्यार्थीदुर्घटना बीमा/2021–22 दिनांक: 02.11.2021

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. अति. निदेशक, निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर
3. वित्तीय सलाहाकार, माध्यमिक शिक्षा, विभाग, राजस्थान, बीकानेर
4. **वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी केन्द्र शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का मॉड्यूल विद्यालय लॉगिन पर Live किया जाने का श्रम करे।**
5. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर प्रेषित कर निवेदन है कि शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का मॉड्यूल विद्यालय लॉगिन पर शुरू करवाने की कार्यवाही करें।
6. उपनिदेशक, योजना कार्यालया हाजा
7. वरिष्ठ संपादक, शिविरा, कार्यालय हाजा. को शिविरा पत्रिका में प्रकाशनार्थ।
8. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग ,कार्यालय हाजा. को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. रक्षित पत्रावली

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर